ओआरजी-2023-24-000039
दिनांक: 04.10.2024

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) , 2024 (आठवां संस्करण) का सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अंतिम मसौदा

भारत के जैविक उत्पादों का निर्यात राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के कार्य-क्षेत्र में आता है , जिसे वर्ष 2001 से विदेश व्यापार विकास विनियमन अधिनियम (एफटीडीआर) 1992 के प्रावधानों के तहत निर्यात के लिए वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। घरेलू बाजार के लिए, एनपीओपी को खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 के तहत मान्यता दी गई है।

एनपीओपी 2014 का वर्तमान संस्करण संशोधन के अधीन है। एनपीओपी 2024 (आठवां संस्करण) का मसौदा एपीडा की वेबसाइट पर हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों के लिए 1 जून 2024 के नोटिस के माध्यम से शुरू में 30 दिनों की अवधि के लिए पोस्ट किया गया था। हितधारकों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अवधि को 15 दिन और बढ़ाकर 15 जुलाई 2024 तक कर दिया गया।

प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा की गई है और अंतिम मसौदा एनपीओपी 2024 में कुछ संशोधन शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) , 2024 के अंतिम मसौदे पर टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो इस नोटिस के प्रकाशन के **10 दिनों के भीतर अर्थात 14 अक्टूबर 2024 तक** निर्धारित प्रारूप में नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoPcFXb4wzszWsEMue3PaXpRvwY7LsQGClyMmeLTZY7mz0kA/viewform
- https://apeda.gov.in/apedawebsite/Announcements/NPOP_Eight_Edition_2024_VF.pdf

(एनपीओपी आठ संस्करण 2024 वीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक)

महाप्रबंधक (जैविक)

एपीडा,नई दिल्ली